"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 — माघ 5, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-2/2017/1/3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 19 में उप-नियम (2-क) में, खण्ड (3) में, शब्द तथा अंक "रु. 25000", के स्थान पर, शब्द तथा अंक "2 माह का मूल वेतन" तथा शब्द तथा अंक "रु. 12000" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "1 माह का मूल वेतन" क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 2-2/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-2/2017/1/3, दिनांक 25-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 25th January 2018

NOTIFICATION

No. F 2-2/2017/1/3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Rule 19, in sub-rule (2-A), in clause (3), for the words and figures "Rs. 25000", the figure and words "2 month's basic pay"; and for the words and figures "Rs. 12000", the figure and words " 1month's basic pay" shall be substituted respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.